रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052026-272546
CG-DL-E-14052026-272546

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2395] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2026/वैशाख 24, 1948
No. 2395] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2026/VAISAKHA 24, 1948

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

## (वाणिज्य विभाग)

## (विदेश व्यापार महानिदेशालय)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2026

**सं. 16/ 2026-2027**

**विषय: चीनी की निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में।**

**का.आ. 2487(अ).—** विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-।। के अध्याय 17 के तहत चीनी की निर्यात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती हैं:

| आइटीसी (एचएस) कोड | विवरण | मौजूदा नीति | संशोधित नीति | नीतिगत शर्त |
|---|---|---|---|---|
| 1701 14 90<br>1701 99 90 | चीनी (कच्ची चीनी, सफेद चीनी और परिष्कृत चीनी) | प्रतिबंधित | निषिद्ध | चीनी का निर्यात तत्काल प्रभाव से **30 सितंबर, 2026** तक, या अगले आदेश तक, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | इनमें से जो भी पहले हो, प्रतिबंधित है। |

2. यह निषेध संबंधित सार्वजनिक सूचनाओं में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीएक्सएल और टीआरक्यू कोटा के तहत यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा।

3. विदेश व्यापार नीति, 2023 और प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम (एस) के तहत चीनी का निर्यात नियंत्रित किया जाना जारी रहेगा।

4. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। संक्रमणकालीन व्यवस्था के संबंध में विदेशी व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.05 के प्रावधान इस अधिसूचना के तहत लागू नहीं होंगे। उपर्युक्त प्रतिबंध के बावजूद, चीनी का निर्यात उन खेपों के संबंध में अनुमत होगा जो निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करती हों:—

(i). जहां, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले, जहाज पर चीनी का लदान कार्य प्रारंभ हो गया है;

(ii). जहां, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले पत्तन प्राधिकारी द्वारा आवंटित अपने रोटेशन नंबर के साथ शिपिंग बिल दाखिल कर दिया गया है और जहाज भारतीय पत्तन में पहुंच गया है और लंगर डाल दिया है। ऐसे जहाजों में लदान के लिए अनुमोदन केवल इस अधिसूचना से पहले बर्थिंग/लंगर डालने के संबंध में संबंधित पत्तन प्राधिकरी द्वारा पुष्टि के बाद ही जारी किया जाएगा; या,

(iii). जहां, चीनी खेप को सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले सीमा शुल्क/संरक्षक को सौंप दिया गया है और इसे सौंपने की तारीख और समय के सत्यापन योग्य साक्ष्य के साथ उनका इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में पंजीकरण कर दिया गया है।

5. तथापि, उपर्युक्त उत्पादों/मदों का निर्यात अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और उनकी सरकारों के अनुरोध के आधार पर भारत सरकार द्वारा दी गई अनुमति पर ही किया जाएगा।

6. यदि इस अधिसूचना के तहत चीनी निर्यात पर प्रतिबंध की तारीख 30 सितंबर, 2026 से आगे नहीं बढ़ाई जाती है, तो आईटीसी (एचएस) कोड 1701 14 90 और 1701 99 90 के अंतर्गत आने वाली चीनी के लिए निर्यात नीति "प्रतिबंधित" हो जाएगी।

**<u>इस अधिसूचना का प्रभाव:</u>** आइटीसी (एचएस) कोड 1701 14 90 और 1701 99 90 के तहत चीनी (कच्ची चीनी, सफेद चीनी और परिष्कृत चीनी) की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर, 2026 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 'प्रतिबंधित' से 'निषिद्ध' में संशोधित किया गया है। यह निषेध निम्नलिखित के तहत निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं है: (i) सीएक्सएल और टीआरक्यू कोटा के तहत यूरोपीय संघ और अमेरिका, (ii) अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम (एएएस), (iii) सरकार-से-सरकार को निर्यात, और, (iv) पहले से ही व्यावहारिक निर्यात पाइप लाइन में खेप।

यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया गया है।

[फा. सं. 01/91/180/879/एएम08/ईसी/खंड8/ई-20749]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

# MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th May, 2026

**No. 16/ 2026-27**

**Subject: Amendment in Export Policy of Sugar - regarding.**

**S.O. 2487(E).—**The Central Government, in exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, hereby amends the export policy of Sugar under Chapter 17 of ITC (HS), Schedule – II as under:

| ITC (HS) Code | Description | Existing Policy | Revised Policy | Policy Condition |
|---|---|---|---|---|
| 1701 14 90<br>1701 99 90 | Sugar (Raw Sugar, White Sugar and Refined Sugar) | Restricted | Prohibited | Export of Sugar is prohibited with immediate effect till **September 30, 2026,** or till further orders, whichever is earlier |

2. This prohibition shall not apply to Sugar being exported to the EU and USA under CXL and TRQ quota, as per the prescribed procedure in the respective Public Notices.

3. Export of Sugar under the Advance Authorization Scheme (AAS) shall continue to be governed as per existing provisions of the Foreign Trade Policy, 2023 and the Handbook of Procedures, 2023.

4. This Notification shall come into effect immediately. The provisions of Para 1.05 of the Foreign Trade Policy, 2023 regarding transitional arrangement shall not be applicable under this Notification. Notwithstanding the above prohibition, export of Sugar shall be permitted in respect of consignments fulfilling any one of the following conditions:—

(i). where loading of sugar on the ship has commenced before the date of publication of this Notification in the Official Gazette;

(ii). where the Shipping Bill has been filed and the vessel has berthed or arrived and anchored in an Indian port, with its rotation number allocated by the Port Authority, before the date of publication of this Notification in the Official Gazette. The approval for loading in such vessels shall be issued only after confirmation by the concerned Port Authority regarding berthing/anchoring prior to this Notification; or,

(iii). where the sugar consignment has been handed over to Customs/Custodian before the date of publication of this Notification in the Official Gazette and is registered in their electronic system, with verifiable evidence of the date and time of such handing over.

5. The export of the above products/ items, however, shall be allowed on the basis of permission granted by the Government of India to other countries to meet their food security needs and based on the request of their governments.

6. In case the date of prohibition on sugar exports under this Notification is not extended beyond September 30, 2026, the export policy for sugar falling under ITC (HS) Code 1701 14 90 and 1701 99 90 shall revert back to “Restricted”.

**Effect of this notification**: The export policy of Sugar (Raw Sugar, White Sugar and Refined Sugar) under ITC (HS) Codes 1701 14 90 and 1701 99 90 is amended from 'Restricted' to 'Prohibited' with immediate effect till September 30, 2026, or until further orders, whichever is earlier. This prohibition is not applicable to Sugar being exported under: (i) EU and USA under CXL and TRQ quota, (ii) Advance Authorization Scheme (AAS), (iii) Government-to-Government exports, and, (iv) consignments already in physical export pipeline.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry, Government of India.

[F. No. 01/91/180/879/AM08/EC/Vol.8/e-20749]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA